

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2020

क्रमांक एफ 22-23/2020/पी-1/इकतीस :: श्री मुकेश कुमार मीणा, तत्कालीन सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी के गोपनीय प्रतिवेदन अवधि दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-तीन में समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रतिकूल टीका अंकित की गई:-

प्रपत्र-तीन

- बिंदु (अ) (1) भाग-दो बिंदु क्रमांक-2 पर सहमत नहीं ।
(3) संबंधित अनुदेशों को लागू करने में रूचि नहीं । कार्यो के ज्ञान का स्तर में मैदानी अनुभव में कमी ।
(ब) (4) सहयोग भावना नहीं ।
(6) टीम भावना की कमी है । स्वयं को अतिमहत्वपूर्ण मानते हुए साथ बैठकर कार्य करने की भावना में कमी । कार्य प्रभावित होता है ।
- (1) निष्ठा- निष्ठा में कमी ।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 09 मार्च, 1992 के अनुपालन में कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 30-01-2017 के द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा, सहायक यंत्री यमुना कछार, ग्वालियर को संसूचना पत्र जारी कर अभ्यावेदन चाहा गया । श्री मुकेश कुमार मीणा, सहायक यंत्री ने दिनांक 10-05-2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा, सहायक यंत्री के अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण कर अभिमत दिया कि श्री मीणा के गोपनीय प्रतिवेदन में संसूचित टीप को हटाया जाना उचित होगा ।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विचारोपरान्त श्री मुकेश कुमार मीणा, सहायक यंत्री के दिनांक 01-04-2015 से दिनांक 31-03-2016 की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका विलोपित करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया ।


 /2/

// 2 //

5. अतः वर्णित स्थिति में राज्य शासन एतद् द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा, सहायक यंत्री के गोपनीय प्रतिवेदन अवधि दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 में अंकित प्रतिकूल टीका को विलोपित करते हुए श्रेणीकरण "ख" मान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव


29/08/2020

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2020

पृ0कमांक एफ 22-23 / 2020 / पी-1 / इकतीस
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी / राज्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, **संबंधित**।
4. श्री मुकेश कुमार मीणा, सहायक यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, दतुनी नहर परियोजना, उप संभाग, कांटाफोड़, जिला देवास द्वारा- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
5. वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभाग के वेबसाइट पर आदेश की प्रविष्टि करायें।
6. स्टाक पंजी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।


उप सचिव

म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग


29/08/2020